



क्रमांक/4735 म.स./2026

भोपाल दिनांक 09/09/2026

// आदेश //

मण्डल के पत्र क्रमांक 53/वियोजित/2026 भोपाल, दिनांक 04 मई 2026 द्वारा उक्त अनिवार्यता को समाप्त करते हुये गणित बेसिक/स्टेण्डर्ड विषय से उत्तीर्ण छात्र कक्षा 11वीं में गणित संकाय का चयन कर सकेगा संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई है। इस आदेश के तहत अब छात्र जिन्होंने कक्षा 9वीं में गणित स्टेण्डर्ड विषय का चयन कर लिया है, वह भी गणित बेसिक विषय लेना चाहते हैं। ऐसे छात्रों को सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं के परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सत्र 2025-26 के कक्षा 9वीं के नामांकन फार्म में निशुल्क विषय परिवर्तन कर सकेंगे।

यह सुविधा केवल सत्र 2026-27 के लिए लागू रहेगी।

(बुद्धेश कुमार वैद्य)

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/4736 म.स./2026

भोपाल, दिनांक:

09/09/2026

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 - 2- निज सचिव-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
 - 3- निज सहायक-सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 4- माननीय मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
 - 5- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 6- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 - 7- आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 - 8- कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
 - 9- संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
 - 10- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 - 11- समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
 - 12- संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
 - 13- सहायक आयुक्त, समस्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
 - 14- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
 - 15- आंचलिक अधि./समस्त, संभा.अधि./समस्त स.स./क.अ.परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्षा।
 - 16- पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./विताधिकारी, मा.शि.मं.भोपाल।
 - 17- नि.स.- सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक मा.शि.म.मंडल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Digitally signed by
Buddhesh Kumar Vaidya
Date: 09-09-2026
13:57:18

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल